



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-18092025-266231
CG-CG-E-18092025-266231

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4085]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 16, 2025/भाद्र 25, 1947

No. 4085]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 2025/BHADRA 25, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे)
अधिसूचना

बिलासपुर, 12 सितम्बर, 2025

का.आ. 4200(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत का राजपत्र, असाधारण भाग (II)] खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 07 अक्टोबर, 2024 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांख का. आ. 4344 (अ) तारीख 07 अक्टोबर, 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है, द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् नागभिड - नागपूर ब्रॉड गेज परियोजना (106 कि.मी.) प्रस्तावित गेज रूपांतर (बीजी) करने के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक मजदुर टाईम्स पत्रों अर्थात् मे तारीख 24 नोव्हेंबर, 2024 और "दैनिक चंद्रपूर समाचार पत्रिका" में तारीख 24 नोव्हेंबर, 2024 को प्रकाशित किया गया था।

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गये हैं।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20(ड:) की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(ड:) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20(ड:) की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में अत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के भंडारा जिले में तालुका पवनी अंतर्गत निचे दिये गये गाव के लिए, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बम्हपूरी जिला चंद्रपूर के अधीन विशेष रेल परियोजना अर्थात् नागभिड – नागपूर ब्रॉड गेज परियोजना (106 कि.मी.) करने के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	जिले का नाम	तहसिल का नाम	गाव का नाम	7 / 12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्व्हे नं.	भूधारणा पद्धती	7 / 12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे.आर)	संपादन क्षेत्र (हे. आर)
1	1/अ-65/2024-25	चंद्रपूर	नागभिड	सूलेझरी	प्रतीक अनिल चव्हाण	314 / 1	1	0.34	0.340
					अनिल भोवानजी चव्हाण	315 / 1	1	0.13	0.130
					अनिल भोवानजी चव्हाण	315 / 3	1	0.05	0.050
					कुल			0.52	0.5200

[फा. सं. सी.ए.ओ./सी/बी.एस.पी./एम.आर.आई.डी.सी.एल./नागपुर-नागभीड/चंद्रपूर जिला/20 ड:]

आलोक तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 12th September, 2025

S.O. 4200(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 4344 (E) dated the 10th October, 2024 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 7th October, 2024 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20 A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and Railways (Amendment) Act 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely Nagbhir - Nagpur Gauge Conversion Project (106 Km) in the District of Nagpur, Bhandara, Chandrapur in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Dainik Chandrapur Samachar” Dated 24th November, 2024 and “Dainik Majdur Tames” Dated 24th November, 2024 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section 20 E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette; the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project namely, Nagbhir - Nagpur Gauge Conversion Project (106 Km) in following villages in Nagbhid Taluka, District Chandrapur under Competent Authority for Sub-Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Bramhapuri district Chandrapur in the State of Maharashtra.

Sr. No	Land Acquisition Case No.	Name of District	Name of Taluka	Name of Village	Name of Land owner	Survey Number	Land holding method	Total area as per 7/12 (H.R.)	Acquisition Area in (H.R)
1	1/A-65/2023-24	Chandrapur	Nagbhid	Sulezari	Pratik Anil Chauhan	314/1	1	0.34	0.3400
					Anil Bhovanji Chauhan	315/1	1	0.13	0.13
					Anil Bhovanji Chauhan	315/3	1	0.05	0.0500
						Total: -		0.52	0.5200

[F. No. CAO/C/BSP/MRIDCL/NGP-NAB/Chandrapur Dist/20 E]

ALOK TIWARI, Chief Administrative Officer (Con.)